भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

Rs 20000 रु

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

308369

<u>विक्रय विलेख</u>

प्रतिफल की धनराशि - रू0 4,11,996

बाजारू मूल्य - रू0 1,52,900

अदा किये गये जनरल स्टैम्प- रू0 41,200

1. भूमि का प्रकार - कृषि
2. परगना - बिजनौर
3. ग्राम - देवामऊ
4. सम्पत्ति का विवरण - भूमि खसरा संख्या 55 रकबा

रामा देवी

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हजार रुपये

RUPEES 20000 रुपये

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



0.139 हेक्टेअर का पूर्ण भाग स्थित ग्राम-देवामऊ, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5. | मापन की इकाई | - | हेक्टेअर |
| 6. | सम्पत्ति का क्षेत्रफल | - | 0.139 हेक्टेअर |
| 7. | सड़क की स्थिति | - | सुल्तानपुर रोड व अमरशहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक |
| 8 | भूमि का प्रकार | - | कृषि |
| 9. | पेड़ों की स्थिति | - | कोई पेड़ नहीं है। |
| 10. | बोरिंग/ कुआं अन्य | - | कुछ भी नहीं है । |

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 354425



<u>चौहद्दी खसरा नं0 55</u>

उत्तर : खसरा संख्या-54
दक्षिण : खसरा संख्या-91, 94
पूरब : ग्राम सीमा बरौना
पश्चिम : खसरा संख्या-56, 57

प्रथम पक्ष की संख्या- 1 : द्वितीय पक्ष की संख्या- 1

| विक्रेता का विवरण | | क्रेता का विवरण |
| --- | --- | --- |
| 1. श्रीमती रामादेवी पुत्री सत्य नारायन पत्नी रामकिशुन निवासी बकरवाखेड़ा, मजरा | : | सुरेश वर्मा पुत्र रामप्रसाद निवासी-रेठवा, तहसील सन्डीला, जिला हरदोई। |

रामा देवी

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH B 354426



| | | |
|---|---|---|
| मऊ, परगनाव तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ। | | |
| व्यवसाय- कृषि | | व्यवसाय- कृषि |

यह विक्रय विलेख 1. श्रीमती रामादेवी पुत्री सत्य नारायन पत्नी [illegible] निवासी बकरवाखेड़ा, मजरा मऊ, [illegible] तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ जिन्हें आगे विक्रेता कहा गया है एवम्

रामा देवी

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

B 354426

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



| | | |
|---|---|---|
| मऊ, परगनाव तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ। | | |
| व्यवसाय- कृषि | | व्यवसाय- कृषि |

यह दिक्र 1. श्रीमती रामादेवी पुत्री सत्य नारायन पत्नी रामकिशुन निवासी बकरवाखेड़ा, मजरा मऊ, परगनाव तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ जिन्हें आगे विक्रेता कहा गया है एवम्

रामा देवी

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 902146



सुरेश वर्मा पुत्र रामप्रसाद निवासी-रेठवा, तहसील सन्डीला, जिला हरदोई जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है के मध्य निष्पादित किया गया ।

यह कि विक्रेता भूमि खसरा संख्या 55 रकबा 0.139 हेक्टेअर का पूर्ण भाग स्थित ग्राम-देवामऊ, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ का मालिक, कामिल व काबिज है तथा उपरोक्त प्रमाणित षटवार्षिक खतौनी 00093 के अनुसार भूमि विक्रेता के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है और विक्रेता के नाम का अमल दरामद राजस्व

रामादेवी

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 902147



अभिलेखों में हो गया है। विक्रेता को पैसो की सख्त आवश्यकता के कारण वह अपना सम्पूर्ण हिस्सा क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, कामिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है और उक्त भूमि सरप्लस भूमि का हिस्सा नहीं है के विक्रेता यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। विक्रेता ने उक्त भूमि पर कृषि ऋण या अन्य प्रकार

रामा देवी

का कोई ऋण नहीं लिया है। यदि कोई ऐसा ऋण भविष्य में निकलता है तो उसके जिम्मेदार विक्रेता व उसके वारिसान व विधिक उत्तराधिकारी होगें। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के फलस्वरूप कुल विक्रय मूल्य रू0 4,11,996/- के प्रतिफल में जिसका उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता की इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया हे एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करते हैं, तदानुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जा व सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग

रामा देवी

करेंगे । विक्रेता व उसके वारिसान उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर लें। उस स्थिति में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा ।

यह कि विक्रेता यह भी घोषित करता है कि उक्त भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ तथा अन्य किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित है ।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेंगे, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी ।

रामा देवी

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम देवामऊ अर्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सरकिल रेट रू0 11,00,000/- प्रति हेक्टेअर हैं इस प्रकार बिक्रीत भूमि 0.139 की कुल मालियत 1,52,900/- होती है तथा विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 41,200/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। भूमि में कोई पेड़ इमारत आदि नहीं है तथा किसी प्रकार की आवासीय गतिविधियां नहीं चल रही है व कोई नलकूप, कुआं भी नहीं है, तथा 200 मी0 के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से व अमर शहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता एवं क्रेता दोनो अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है ।

लिहाजा यह विक्रय पत्र विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे ।

<u>परिशिष्ट: भुगतान विवरण</u>

1. विक्रेता को रू0 4,11,996/- द्वारा चेक संख्या-589499 दिनांकित 28.06.2007 पंजाब नैशनल बैंक, हजरतगंज लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

रामा देवी

विक्रय पत्र

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 411,996.00/ | 153,000.00 | 5,000.00 | 40 | 5,040.00 | 2,000 |
| प्रतिफल | मालियत | फीस रजिस्ट्री | नकल व प्रति शुल्क | योग | शब्द लगभग |

श्री /श्रीमती रामादेवी
पुत्र / पत्नी श्री पुत्री सत्यनारायन
पेशा गृहिणी
निवासी स्थायी बकरवाखेड़ा म मऊ मोहनलालगज लखनऊ
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 28/6/2007 समय 5:46PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रामादेवी

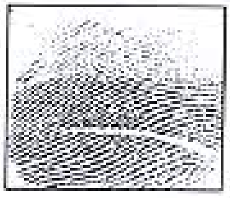

रामादेवी

के.के.शुक्ला
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
28/6/2007

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता
श्री/श्रीमती रामादेवी
पुत्र/पत्नी श्री पुत्री सत्यनारायन
पेशा गृहिणी
निवासी बकरवाखेड़ा म मऊ मोहनलालगज लखनऊ

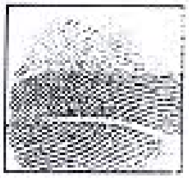

क्रेता
श्री/श्रीमती सुरेश वर्मा
पुत्र/पत्नी श्री रामप्रसाद
पेशा व्यापार
निवासी रैठवा सन्डीला हरदोई

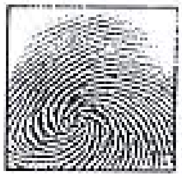

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री रामकिशुन
पुत्र श्री मैकूलाल
पेशा कृषि
निवासी बकरवा खेडा मऊ मोहनलाल गज लखनऊ

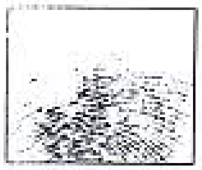

व श्री रवीन्द्र कुमार पान्डेय
पुत्र श्री ब्रम्हप्रकाश पान्डेय
पेशा व्यापार
निवासी 18मदनमोहन मालवीय मार्ग लखनऊ

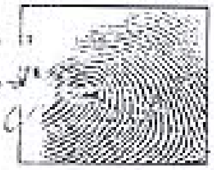

ने की ।
प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये है।

के.के.शुक्ला
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
28/6/2007

इस प्रकार विक्रेता को कुल विक्रय मूल्य 4,11,996/- (रूपया चार लाख ग्यारह हजार नौ सौ छियान्नबे मात्र) क्रेता से प्राप्त हुए जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करते हैं तथा अब कोई भी धनराशि विक्रेता को क्रेता से लेना शेष नहीं हैं।

लखनऊ
दिनांक : 28.06.2007

गवाह :

1. विक्रेता की पहचान की

विक्रेता
रामा देवी

क्रेता

2. क्रेता की पहचान की

रवीन्द्र कुमार पाण्डेय s/o श्री इन्द्र प्रकाश पाण्डेय
18, M, M, M, लखनऊ

टाईपकर्ता:-

(मोनू कुमार)
सिविल कोर्ट लखनऊ

मसविदाकर्ता:-

(विवेक कुमार सिंह)
एडवोकेट

विक्रेता

Registration No 6219 Year : 2007 Book No. 1

0101 रामादेवी

पुत्री सत्यनारायन

बकरवालेडा म गऊ मोहनलालगंज लखनऊ

गृहिणी

खसरा सं ५५ परगना [illegible] तहसील [illegible]

रकबा ०-१३९ है जिला [illegible]

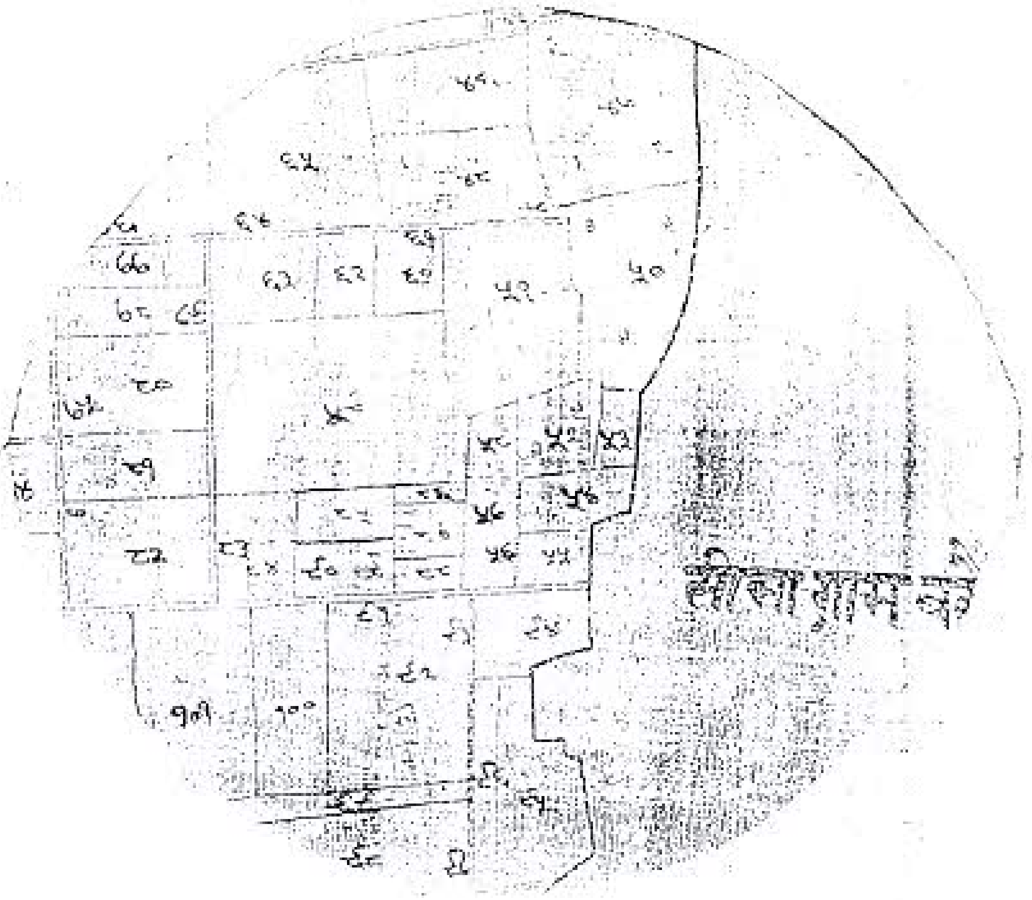


रामा देवी

क्रेता

Registration No. 6219 Year : 2007 Book No. 1

0201 सुरेश वर्मा

रामप्रसाद

रेठवा सन्डीला हरदोई

व्यापार

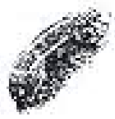

## रजिस्ट्रेशन अधि० 1908 की धारा – 32 ए० के अनुपालन हेतु,

## फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता नाम व पता :– रामादेवी

पि. ... ... 

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

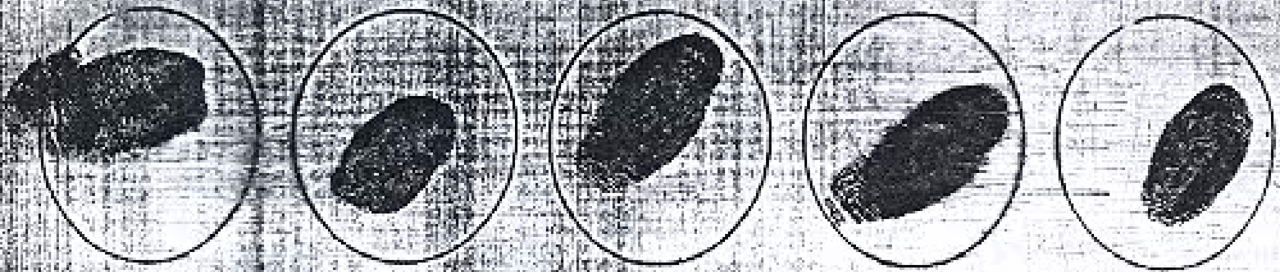

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

रामा देवी

प्रस्तुतकर्ता / [redacted] / क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता / ~~क्रेता नाम~~ व पता :– ...

...

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

रामा देवी

आज दिनांक **28/06/2007** को

बही सं **1** जिल्द सं **8432**

पृष्ठ सं. **391** से **414** पर क्रमांक 6219

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

[illegible]

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

28/6/[illegible]